10रु. Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES
20रु. Rs.20 बीस रुपये TWENTY RUPEES

(1)

(53)

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

प्र.क्रं......... I/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/4294 सन् 2017

अरविन्द कुमार चौरसिया तनय स्व0 श्री काशी प्रसाद चौरसिया

आयु 50 वर्ष, निवासी ग्राम पनागर तहसील ब्रिजावर

जिला– छतरपुर म0प्र0 ------------------ निगरानीकर्ता

बनाम

1– हरि तनय मौना अहिरवार आयु 48 वर्ष

2– परसू तनय मौना अहिरवार आयु 45 वर्ष

3– चेतराम तनय मौना अहिरार आयु 40 वर्ष

समस्त निवासीगण ग्राम पनागर तहसील बिजावर जिला छतरपुर म.प्र.---- प्रत्यर्थीगण

दिनांक 7-11-17 को श्री मुकेश भार्गव अभि० द्वारा प्रस्तुत। 7-11-17

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

निगरानी विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के अपील प्रकरण क्रमांक 02/अपील/2017–18 मे पारित आर्डरशीट दिनांक 16.10.2017

पे०दि० 16-11-17

मुख्य लिपिक राजस्व मण्डल 7-11-17

महोदय, ग्वालियर

निगरानीकर्ता की ओर से निम्न विनय है –

1– यह कि निगरानीकर्ता ग्राम पनागर तहसील बिजावर जिला छतरपुर का निवासी है जहॉ आवेदक/निगरानीकर्ता के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि खसरा नं. 2171, 2172, 2173 रकवा क्रमशः 0.571, 0.854, 0.506 है0 कुल किता–3 एकत्र रकवा 1.931 है0 भूमि स्थित है।

2– यह कि उपरोक्त वर्णित भूमि पर लगभग 40–45 वर्षो से आवेदक कें आधिपत्य मे होने के कारण श्रीमान् तहसीलदार महोदय बिजवार के न्यायालय से प्रकरण क्रमांक 26/अ–19/2001–02 मे पारित आ देश दिनांक 02.07.2003 के द्वारा आवेदक निगरानीकर्ता के पक्ष में व्यवस्थापन आदेश पारित कर भूमि स्वामी घोषित किया गया है।

3– यह कि प्रत्यर्थीगण क्रमांक एक लगायत तीन द्वारा आवेदक /निगरानीकर्ता के पक्ष मे पारित आदेश दिनांक 02.07.2003 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय मे अपील प्रस्तुत की

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/4294 अरविन्द विरूद्ध हरि व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-10-2018 1/2 23.x.18	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक अरविन्द की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव एवं अनावेदक हरि व अन्य की ओर से अभिभाषक श्री देवेन्द्र सिंह कुशवाह उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बिजावर, जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 02/अपील/2017-18 अपील में पारित आदेश दिनांक 16-10-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 07-11-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।"	

4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 24-12-2018 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

23.x.18

(आर.के. जैन)
सदस्य